

मिट्टी तेल आवंटन

संख्या-08 /2017/758/29-7-2017-एम-143/2006 टी0सी0

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 2- राज्य स्तरीय समन्वयक,
भारतीय तेल निगम,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक 25 अक्टूबर, 2017

विषय:-भारत सरकार से प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2017-18 के तृतीय त्रैमास के माह अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर, 2017 के लिये प्राप्त मिट्टी के तेल का मासिक कम्पनीवार आवंटन।

महोदय,

भारत सरकार, पेट्रोलियम प्लानिंग एण्ड एनालिसिस सेल, नई दिल्ली (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय) के पत्र संख्या-डी-11013/01/2017-IV दिनांक 25-09-2017 द्वारा तृतीय त्रैमास के माह अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर, 2017 के लिये 221964 के0एल0 मिट्टी के तेल का आवंटन उपलब्ध कराया गया है।

2- प्रश्नगत मिट्टी के तेल के आवंटन के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत दो प्रकार के लाभांवित परिवारों की श्रेणी अर्थात् पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय का चयन किया गया है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार से प्राप्त प्रति माह आवंटन के सापेक्ष दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 तक पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों में 02 लीटर प्रति राशनकार्ड एवं अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों में 3.5 लीटर प्रति राशनकार्ड के आधार पर आवंटन तैयार किया गया है। यह आधार एक दिशा-निर्देश के रूप में परिचायक स्वरूप होगा। भारत सरकार से आगामी त्रैमासों में मिट्टी के तेल के आवंटन में कमी व बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप उसी प्रकार आवंटन को संशोधित किया जायेगा। तदनुसार प्रदेश के समस्त जनपदों को संलग्न तालिका के अनुसार मासिक आवंटन किया गया है। (संलग्न प्रति)

3- यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों में 02 लीटर प्रति राशन कार्ड एवं अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों में 3.5 लीटर प्रति राशनकार्ड मिट्टी के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

तेल के वितरण के उपरांत जो भी तेल अवशेष बचेगा उसे जिलाधिकारी पात्र राशनकार्ड धारकों में अनुमन्य मात्रा में ही आवश्यकतानुसार अपने स्तर से वितरित करायें अथवा जनपद स्तर पर इसे सुरक्षित रखते हुए इसका लेखा-जोखा रखेंगे।

4- प्रत्येक त्रैमास में शासन स्तर से उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं परन्तु अधिकांश जनपदों से मिट्टी के तेल का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हो रहा है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है। अतः प्रत्येक माह पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों में वितरित मिट्टी के तेल की पूरी मात्रा निर्धारित प्रारूप पर तहसीलवार आगामी माह की 10 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाय ताकि मिट्टी के तेल के दुरुपयोग/व्यवर्तन पर अंकुश लगाया जा सके। इस हेतु संबंधित जिलापूर्ति अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

5- उक्त के अतिरिक्त यह भी निदेश है कि माह अक्टूबर, 2017 के तेल का जिला स्तर पर आवंटन एवं उठान दिनांक 05-11-2017 तक तथा सामान्य जनता के मध्य समुचित प्रचार-प्रसार कराकर वितरण दिनांक 10-11-2017 तक सुनिश्चित कराकर कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाय। माह नवम्बर, 2017 तथा दिसम्बर, 2017 हेतु शासनादेश संख्या-2490/29-6-2015-सा/98, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार मिट्टी के तेल के उठान, वितरण एवं सत्यापन हेतु रोस्टर के निर्धारण का अनुपालन सुनिश्चित करें।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-कम्पनीवार ब्रेक-अप।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)

अनु सचिव।

संख्या-08/2017/758(1)/29-7-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, 30प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-08/2017/758/29-7-2017-एम-143/2006 टी0सी0, दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 का संलग्नक

क्र0	जनपद का नाम	आई0ओ0सी0	एच0पी0सी0	बी0पी0सी0	योग
1-	आगरा	900	180	324	1404
2-	अलीगढ़	828	156	300	1284
3-	इलाहाबाद	1392	288	504	2184
4-	अम्बेडकर नगर	780	0	0	780
5-	अमेठी	504	96	180	780
6-	अमरोहा	420	288	0	708
7-	औरैया	348	72	132	552
8-	आजमगढ़	984	216	348	1548
9-	बागपत	240	48	96	384
10-	बहराइच	1044	444	0	1488
11-	बलिया	864	180	312	1356
12-	बलरामपुर	420	0	288	708
13-	बांदा	420	0	288	708
14-	बाराबंकी	912	192	324	1428
15-	बरेली	1044	216	396	1656
16-	बस्ती	540	0	372	912
17-	बिजनौर	780	156	276	1212
18-	बदायूं	672	132	240	1044
19-	बुलन्दशहर	804	168	288	1260
20-	चन्दौली	432	96	156	684
21-	चित्रकूट	288	0	120	408
22-	देवरिया	744	156	264	1164
23-	एटा	624	0	0	624
24-	इटंवा	408	84	144	636
25-	फैजाबाद	564	120	192	876
26-	फर्रुखाबाद	252	0	372	624
27-	फतेहपुर	624	132	228	984
28-	फिरोजाबाद	564	324	0	888
29-	गौतमबुद्धनगर	432	0	0	432
30-	गाजियाबाद	492	96	180	768
31-	गाजीपुर	816	168	288	1272
32-	गोण्डा	744	156	276	1176
33-	गोरखपुर	1092	216	396	1704
34-	हमीरपुर	288	0	180	468
35-	हापुड	252	168	0	420

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

36-	हरदोई	1080	216	384	1680
37-	हाथरस	360	72	132	564
38-	जालौन	396	84	156	636
39-	जौनपुर	1092	216	384	1692
40-	झांसी	456	300	0	756
41-	कन्नौज	384	264	0	648
42-	कानपुर देहात	420	288	0	708
43-	कानपुर नगर	1008	204	360	1572
44-	कासगंज	300	204	0	504
45-	कौशाम्बी	396	0	240	636
46-	लखीमपुर खीरी	1092	240	396	1728
47-	कुशीनगर	1092	216	396	1704
48-	ललितपुर	300	192	0	492
49-	लखनऊ	912	180	336	1428
50-	महोबा	0	72	324	396
51-	महराजगंज	996	0	0	996
52-	मैनपुरी	432	0	288	720
53-	मथुरा	624	132	228	984
54-	मऊ	516	108	192	816
55-	मेरठ	624	144	228	996
56-	मिरजापुर	600	120	216	936
57-	मुरादाबाद	684	144	252	1080
58-	मुजफ्फरनगर	636	132	240	1008
59-	पीलीभीत	588	0	156	744
60-	प्रतापगढ़	672	0	432	1104
61-	रायबरेली	768	156	276	1200
62-	रामपुर	552	120	192	864
63-	सहारनपुर	720	156	276	1152
64-	सम्भल	480	96	168	744
65-	संतकबीरनगर	696	0	0	696
66-	संतरविदास नगर (भदोही)	384	0	252	636
67-	शाहजहांपुर	684	144	252	1080
68-	शामली	264	60	96	420
69-	श्रावस्ती	264	0	180	444
70-	सिद्धार्थनगर	588	0	396	984
71-	सीतापुर	1152	228	420	1800
72-	सोनभद्र	444	0	312	756
73-	सुल्तानपुर	588	120	216	924

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

74-	उन्नाव	852	168	324	1344
75-	वाराणसी	816	168	288	1272
	योग	47424	9492	16452	73368

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)

अनु सचिव।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।